कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास, जिला महासमुन्द छत्तीसगढ़

कलेक्ट्रोरेट परिसर, प्रथम तल, खनिज शाखा महासमुन्द, छ0ग0 ई–मेल आईडी– miningmahasamund@gmail.com

//विज्ञप्ति//

क्रमांक 37 /क/स्था./डी.एम.एफ.टी/न.क /2023 महासमुन्द, दिनांक 16/02/2024

छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय भवन, महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेश क्रमांक 7–34/2016/XII/(क) नया रायपुर, दिनांक 23.03.2021 में दिये गए पद संरचना की स्वीकृति अनुसार महासमुन्द जिला खनिज संस्थान न्यास हेतु स्वीकृत संविदा भर्ती के पदों के लिए अधोवर्णित पद के लिए अर्हताधारी इच्छूक अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने है। ऑनलाईन आवेदन पत्र जिला महासमुन्द की वेबसाईट https://mahasamund.gov.in पर दिनांक25/02/2024 तक आमंत्रित किये जाते है।

जिला खनिज संस्थान न्यास महासमुन्द में स्वीकृत पदों का नाम एवं आरक्षण, पद का प्रकार, रिक्त पद की संख्या, आयु सीमा एवं न्यूनतम अर्हता एवं वेतन निम्नानुसार है :–

क्रं.	पद का नाम	पद का प्रकार	रिक्त पद संख्या/ आरक्षण	न्युनतम आयु	अधिकतम आयु	न्यूनतम अर्हता एवं वेतन
01	विकास सहायक	संविदा	01 (अनारक्षित/मुक्त)	21 वर्ष	35 वर्ष	01. मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण । 02. प्रबंधन (Management) में स्नात्कोत्तर उपाधि/डिप्लोमा। वेतनमान + ग्रेड वेतन (रूपये में) – 75000/– प्रतिमाह (निश्चित वेतन)
02	लेखापाल	संविदा	01 (अनारक्षित/मुक्त)	21 वर्ष	35 वर्ष	सेवानिवृत्त लेखापाल एवं सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड–एक (लेखा परीक्षा उत्तीर्ण) को संविदा से लिया जा सकेगा । उपलब्ध नही होने पर सीधी भर्ती (संविदा) । 1. मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से बी.कॉम. न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण। 2 .मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए उत्तीर्ण एवं Tally Softwareका पर्याप्त ज्ञान। वेतनमान + ग्रेड वेतन (रूपये में) – 23350/– प्रतिमाह (निश्चित वेतन)
03	सहायक ग्रेड–03	संविदा	कुल पद–02 (01– पद अनुसूचित जनजाति / मुक्त 01–अनारक्षित/मुक्त)	21 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण एवं न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री/प्रोग्रामिग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र । 3. कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य।(गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी) वेतनमान + ग्रेड वेतन (रूपये में) – 18000/– प्रतिमाह (निश्चित वेतन)
04	भृत्य	संविदा	01 (अनारक्षित/मुक्त)	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त संस्था से 08 वीं परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण वेतनमान + ग्रेड वेतन (रूपये में) – 14400/– प्रतिमाह (निश्चित वेतन)

पद क्रमांक 01 :–विकास सहायक (Development Associates)

दायित्व :– प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत जिला खनिज संस्थान ट्रस्ट मद से स्वीकृत कार्य प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति के विकास से संबंधित कल्याणकारी योजना है। अतः परियोजना समन्वयक का दायित्व प्रभावित क्षेत्र के भौगोलिक एवं सामाजिक आर्थिक परिवेश का सुक्ष्म अध्ययन कर एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को तैयार करना रहेगा। अभिनव परियोजनाओं को तैयार कर बेहतर क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण का दायित्व भी होगा। प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के ग्राम सभाओं में विकास से संबंधित कार्यो की चर्चा में सहायता करेंगें।

चयन प्रकिया :–संविदा पर कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति द्वारा गठित समिति के द्वारा चयनित एवं शाषी परिषद द्वारा अनुमोदित । विकास सहायक के पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति न्यूनतम अर्हता में उत्तीण मेरिट के आधार पर चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

प्रशिक्षण :– चयनित अभ्यर्थी को प्रशासनिक अकादमी, छत्तीसगढ़ रायपुर (निमोरा) के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 से संबंधित नियम, निर्देशों के संबंध में भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

पद क्रमांक 02 :–लेखापाल (Accountnt)

दायित्व :– जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा संचालित परियोजनाओं में होने वाले व्यय का लेखा परीक्षण/ऑडिट/त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार करना एवं छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास 2015 नियम 25 में दिए गए कार्यो का सम्पादन करना।

चयन प्रकिया :–संविदा पर कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति द्वारा गठित समिति के द्वारा चयनित एवं शाषी परिषद द्वारा अनुमोदित । लेखापाल के पद के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच एवं स्कूटनी के पश्चात् अर्हताधारी पात्र आवेदकों को प्रायोगिक/कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। प्रायोगिक/कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट आधार पर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदो के प्रवर्गवार 1 अनुपात 10 के मान से उम्मीदवारों को प्रायोगिक/कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा। अंतिम चयन, निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्रयोगिक/कौशल परीक्षा में मेरिट के आधार पर किया जावेगा, इस हेतु निम्नानुसार अंक निर्धारित होंगे :–

कमांक	मेरिट हेतु अंको का निर्धारण	
1	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में 100 अंको का Weightage देते हुऐ अधिकतम अंक –	40 अंक
2	कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में अधिकतम अंक	45 अंक
3	शासकीय विभागों/योजनाओं में कम से कम –	
	• न्यूनतम 01 से 02 वर्ष का अनुभव	05 अंक
	• 05 वर्ष तक अनुभव	10 अंक
	• 05 वर्ष से अधिक अनुभव	15 अंक

उपरोक्तानुसार कुल निर्धारित 100 अंक के मेरिट के आधार पर चयन की कार्यवाही की जावेगी। प्रायोगिक/कौशल परीक्षा में निर्धारित अंको में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार चयन के विचार योग्य होंगे, उससे कम अंक प्राप्त करने वाले नही।

15/02

पद क्रमांक 03 :–सहायक ग्रेड–3 (Assistant Grade-III)

दायित्व :– जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा संचालित परियोजनाओं से संबंधित नसतियों का संधारण, सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार नियमों का परीक्षण कर अनुमोदन हेतु नस्ती का अग्रेषण। डीएमएफ वेबसाईट का संधारण एवं अद्यतन किए जाने का दायित्व होगा एवं समक्ष अधिकारी द्वारा सौंपे गए दायित्व का निर्वहन।

चयन प्रकिया :–संविदा पर कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति द्वारा गठित समिति के द्वारा चयनित एवं शाषी परिषद द्वारा अनुमोदित । सहायक ग्रेड–03 के पद के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच एवं स्क्रूटनी के पश्चात् अर्हताधारी पात्र आवेदकों को प्रायोगिक/कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। प्रायोगिक/कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट आधार पर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदो के प्रवर्गवार 1 अनुपात 10 के मान से उम्मीदवारों को प्रायोगिक/कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा। अंतिम चयन, निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता व प्रायोगिक/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको एवं अनुभव के अंक के मेरिट के आधार पर किया जावेगा, इस हेतु निम्नानुसार अंक निर्धारित होंगे :–

कमांक	मेरिट हेतु अंको का निर्धारण	
1	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में 100 अंको का Weightage देते हुऐ अधिकतम अंक –	40 अंक
2	कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में अधिकतम अंक	45 अंक
3	शासकीय विभागों/योजनाओं में कम से कम –	
	• न्यूनतम 01 से 02 वर्ष का अनुभव	05 अंक
	• 05 वर्ष तक अनुभव	10 अंक
	• 05 वर्ष से अधिक अनुभव	15 अंक

उपरोक्तानुसार कुल निर्धारित 100 अंक के मेरिट के आधार पर चयन की कार्यवाही की जावेगी। प्रायोगिक/कौशल परीक्षा में निर्धारित अंको में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार चयन के विचार योग्य होंगे, उससे कम अंक प्राप्त करने वाले नही।

सहायक ग्रेड–03 हेतु कम्प्यूटर प्रमाण पत्र के लिए निम्नांकित संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य किये जावेंगे :–

(1) मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेन्ट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट ।

(2) मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेकनीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साइंस/इन्फारमेशन टेक्नालॉजी/माडर्न आफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)।

(3) वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड यूनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साइंस/इंफारमेंशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि।

(4) **DOEACC Society New Delhi** द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा।

पद कमांक 04 :– भृत्य (Peon)

दायित्व :– जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा संचालित परियोजनाओं से संबंधित नस्तीयों का वाहक एवं समक्ष अधिकारी द्वारा सौंपे गए दायित्व का निर्वहन।

चयन प्रकिया :– संविदा पर कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति द्वारा गठित समिति के द्वारा चयनित एवं शाषी परिषद द्वारा अनुमोदित । **जिले के स्थायी निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी।** पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त अंकों एवं अनुभव के अंक के मेरिट के आधार पर होंगे। अनुभव के अंक निम्नानुसार होंगे :–

क्रमांक	मेरिट हेतु अंको का निर्धारण	
1	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में 100 अंको का Weightage देते हुऐ अधिकतम अंक –	85 अंक
2	शासकीय विभागों/योजनाओं में कम से कम –	
	• न्यूनतम 01 से 02 वर्ष का अनुभव	05 अंक
	• 05 वर्ष तक अनुभव	10 अंक
	• 05 वर्ष से अधिक अनुभव	15 अंक

आवेदन करने हेतु अनुदेशः–

1. ऑनलाईन आवेदन पत्र जिला महासमुन्द की वेबसाईट https://mahasamund.gov.in पर दिनांक 25/02/2024 तक आमंत्रित किये जाते है। आवेदन केवल ऑनलाईन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। डाक से प्राप्त एवं हाथों–हाथ आवेदन पत्र (ऑफलाईन) स्वीकार/मान्य नही किए जाएंगे।
2. ऑलनाईन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वंय सुनिश्चित करे ले कि वो विज्ञप्ति पदों की पात्रता रखते है या नही ? चयन/नियुक्ति उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गयी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
3. प्रमाण पत्रों की सत्यापन के समय प्रमाणों पत्रों की मूल प्रति एवं ऑनलाईन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा । प्रमाणों पत्रों की सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी चयन के लिए पात्र नही होंगें ।
4. प्रत्येक आवेदकों चाहिए की आवेदन पत्रों में दिये गये निर्देशों तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक सही एवं पूरी जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी।
5. कौशल परीक्षा एवं अन्य सूचना हेतु अभ्यर्थियों को पृथक से डाक के माध्यम से **सूचना नहीं** दी जाएगी। समस्त प्रकार की सूचनाएं विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जाएगी। अभ्यर्थी समय–समय पर वेबसाईट का अवलोकन कर सकते हैं।

नियम एवं शर्तेः–

01. अभ्यर्थी की आयु की गणना दिनांक 01.01.2024 के संदर्भ में की जायेगी।
02. **संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापित पद क्रमांक 02 हेतु सेवानिवृत्त लेखापाल एवं सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड–एक (लेखा परीक्षा उत्तीर्ण) लिए आवेदन करने का अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष है।**
03. आवेदन पत्रों का शार्ट लिस्टिंग कर प्रस्तुत दस्तावेजों के संबंध में दावा–आपत्ति आंमत्रित की जावेंगी।
04. पात्र आवेदन पत्रों का सूक्ष्म जांच की जाकर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। जो विज्ञापित पदो के 10 गुना होगी।
05. संविदा नियुक्ति, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन एफ–9–1/2012/1–3 रायपुर दिनांक 17 जनवरी 2013 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन होगी।
06. संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगी। शासन के आदेशानुसार एवं विभाग की आवश्यकता के आधार पर संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा नियुक्ति की अवधि केवल 02 वर्ष तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।
07. चयनित अभ्यर्थी के साथ 03 अभ्यर्थी की प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी जो कि एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
08. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

15/02

09. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन पत्र में स्व प्रमाणित दस्तावेज एवं नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

10. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेश एवं शासन द्वारा समय–समय पर चयन के संबंध में दिशा निर्देश एवं मापदंडो का पालन किया जायेगा।

11. परिस्थितिवश एवं आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में कमी या वृद्धि अथवा विज्ञप्ति पूर्ण भाग/आंशिक भाग निरस्त की जा सकती है।

12. संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं दोनो पक्षों में से किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व की सूचना देते हुए कार्यमुक्त किया जा सकेगा।

13. सेवा समाप्ति के बाद कर्मियों को किसी भी प्रकार की पेंशन, भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी।

14. अभ्यर्थी को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होने अनिवार्य है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। भृत्य पद के अभ्यर्थी को महासमुन्द जिले के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जावेंगी।

15. जन्मतिथि के प्रमाण हेतु हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य होगा।

16. किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कदाचरण के आरोप में हटाये, ब्लैक, लिस्टेड अथवा सक्षमतापूर्वक नहीं करने के कारण सेवावृद्धि नहीं किए गए अभ्यर्थी चयन के पात्र नहीं होगें।

17. उपरोक्त संविदा सेवा में मासिक एकमुश्त वेतन देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

18. संविदा भर्ती हेतु रोजगार कार्यालय में जीवित रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

अन्य महत्वपूर्ण शर्तें/निर्देश/जानकारी :–

01. विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन (Interpretation) का अधिकार "कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला खनिज संस्थान न्यास" का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नही किया जाएगा एवं कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

02. विज्ञापन में तथ्यात्मक/लिपिकीय/रिक्तियों की संख्या आदि संबंधी त्रुटियां सुधारी जा सकती है, जिसकी सूचना विधिवत समाचार पत्र/वेबसाईट में प्रकाशित होगी।

03. उपरोक्त पदों के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रकिया एवं अन्य निर्देश/सूचना जिले महासमुन्द की वेबसाईट https://mahasamund.gov.in पर देखा जा सकता है।

(कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला खनिज संस्थान न्यास महासमुन्द द्वारा अनुमोदित)

15/02

नोडल अधिकारी
जिला खनिज संस्थान न्यास
महासमुन्द

पृ0क्रमांक 38 /क/स्था./डी.एम.एफ.टी/न.क /2023 महासमुन्द, दिनांक 16/02/2024

01. व्यवस्थापक, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास एवं सचिव, छ0ग0. शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन , नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

02. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छ0ग0 इन्द्रावती भवन, खण्ड–04 प्रथम एवं द्वितीय तल, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

03. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला महासमुन्द की ओर एक प्रति के साथ प्रेषित है। जिले के शासकीय वेबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

04. सहायक संचालक, जनसम्पर्क विभाग, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ।

05. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

15/02

नोडल अधिकारी
जिला खनिज संस्थान न्यास
महासमुन्द